न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–48 / 2020 (2020 / 00124) वाद पत्र

उनवान

1–राजु पिता कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रूकमणी बेवा कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–रतनलाल पिता माधवलाल जाट निवासी आमली का बड़ा खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–नारायणलाल पिता माधवलाल जाट निवासी आमलीकाबड़ा खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3–शान्तिलाल पिता माधवलाल जाट निवासी आमलीका बड़ा खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4–सोहनलाल पिता रत्ता भील निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–किशनलाल पिता रत्ता भील निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–कैलाश पिता बरदा भील निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–भागीरथ पिता मगना रेगर निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्र सिंह – अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश टेलर – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः–54 / 2020 (2020 / 00156) वाद पत्र

उनवान

1–गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजु पिता कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रूकमणी बेवा कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–भागीरथ पिता मगना रेगर निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – अधिवक्ता वादी
2. महेन्द्र सिंह – अधिवक्ता प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 24.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी राजु की ओर से वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रेवाड़ा पटवार मण्डल बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजी संख्या 335 रकबा 0.03 है0, आराजी

संख्या 336 रकबा 1.48 है0, आराजी संख्या 382 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.02 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 176 पर स्थित है जिसकी नकल वादपत्र के साथ पेश की गई। वादीगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकार की उक्त आराजियात को सीमा सम्बन्धी विवाद होना पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसके संख्या 106/2019 दर्ज होकर दिनांक 04.12.2019 को पत्थरगढ़ी का आदेश हुआ जिस पर पटवारी हल्का एवं गिरदावर के द्वारा दिनांक 17.06.2020 को वाछिंत स्थानो पर पत्थर गढ़वाये गये। आराजी संख्या 336 के उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी 1 से 3 का एवं आराजी संख्या 341 एवं 337 पर खातेदार चान्दी देवी के पुत्रो का कब्जा 0.07 है0 भूमि पर पाया गया एवं आराजी संख्या 382 रकबा 0.66 है0 मे से 0.30 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का और 0.25 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 का और 0.11 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 का पाया गया और आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 है0 मे से 0.80 है0 पर प्रतिवादी संख्या 7 का व 0.05 है0 भूमि पर प्रतिवादी 8 का कब्जा पाया। आराजी संख्या 382 व 383 पर वादीगण का कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया। वादीगण को कब्जे काश्त में बिना दखल दिये पत्थरगढ़ी करवाई गई जिससे वादीगण द्वारा कब्जा लेने का वाद पेश किया है। प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगणो को कब्जा हटाने के लिये कहा तो उन्होने मना कर दिया। वादीगण गरीब भील जाति के लोग है जिनको मारने की धमकी देने लग गये है जिससे वाद में बेदखली डिक्री जारी कर स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगणो के विरूद्व डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण की खातेदारी की की आराजियात वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में अकिंत संख्या 336, 382, 383 में प्रतिवादीगणो के कब्जे में पत्थरगढ़ी के दौरान जो कब्जा पाया गया उनको बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। और प्रतिवादीगण के विरूद्व शास्ति व प्रति फसल 60,000 रूपये वादीगण को प्रतिवादी से दिलाये जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा लगाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रतिवादी को जब से भूमि आंवटन हुई है तब से मौके पर कब्जा होकर भूमि को काफी पैसा लगाकर आबाद किया है भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा जो आवंटित भूमि थी वहां आवंटी का मौके पर कब्जा था उस अनुसार नक्शे में दर्ज नही कर अलग जगह फीट कर दिया है जिससे उस नक्शे को संशोधन कराने हेतु अलग से वाद प्रस्तुत किया गया जिनके प्रकरण सख्या 54/2020 होकर न्यायालय में विचाराधीन है जिनके तथ्य निम्नानुसार है।

ग्राम रेवाड़ा पटवार मण्डल बोरियापुरा तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में बिलानाम काबिल काश्त की साबिक आराजी संख्या 120/1 रकबा 83 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसमें से वादी को 2 बीघा भूमि दिनांक 07.12.1978 को आवंटित की गई तथा मौके पर कब्जा सिपूर्द किया गया तथा गैर खातेदारी हक से जरिये नामान्तरणकरण संख्या 308 दिनांक 05.10.1980 उक्त आवंटन शुदा 2 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज का प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 तक साथ प्रस्तुत की है। वादी को आवंटन शुदा 2 बीघा भूमि के बट्टा नम्बर 120/1ड. रकबा 2 बीघा कायम किये जाकर गैर खातेदारी हक से दर्ज किये गये प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 प्रस्तुत है। वादी को आवंटन शुदा भूमि का वक्त आंवटन नक्शा आवंटन पत्रावली में तरमीमात किया गया जो उत्तर से दक्षिण दिशा में आयताकार आकृति में तरमीम किया गया तथा मौके पर उसी अनुरूप राजस्व कर्मचारियों द्वारा कब्जा वादी को सिपुर्द किया गया। वादी को उक्त आवंटित 2 बीघा भूमि के पूर्व में शोभालाल पिता तोलीराम ब्राहम्ण को 5 बीघा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

साबिक आराजी संख्या 123, 124/1मीन में से आवंटित की गई तथा पूर्वी दक्षिणी कोने पर प्रहलादराय पिता श्रीकृष्णजी निवासी रेवाड़ा को इसी आराजियात में से 4 बीघा भूमि आवंटित की गई उक्त भूमि बाद में विरासत से प्रहलाद राम की पत्नी शांति देवी के नाम पर नामान्तरित हो गई तथा पश्चिम में भागीरथ पिता मगना रेगर को 2 बीघा भूमि साबिक आराजी संख्या 120/1 में से आवंटित की गई। उत्तर में बरदा पिता रत्ता भील निवासी तोलास का खेड़ा को आवंटित 5 बीघा भूमि साबिक आराजी संख्या 120/1 मे से आवंटित की गई तथा दक्षिण में प्रकाश सम्पत महाजन को भूमि आवंटित की गई। वादी की 2 बीघा भूमि इन चारों पड़ौसों के मध्य स्थित है। वक्त आवंटन के समय में बाद चारों पड़ौसों के मध्य 2 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रहा हूँ इस आवंटित भूमि पर पूर्वी उतरी कोने पर वादी ने एक कुआ भी खोदा है जिसमें लाखों रुपये और श्रम खर्च कर उक्त भूमि को आबाद किया है। तहसील रायपुर का नवीन भू–प्रबन्ध हुआ, जिसमें राजस्व ग्राम रेवाड़ा का भी भू–प्रबन्ध किया गया, जिसमें वादी को आवंटित साबिक आराजी संख्या 120/1ड, रकबा 2 बीघा के नवीन नम्बर 313 रकबा 0.43 हेक्ट कायम किये गये। इसी प्रकार शोभालाल पिता तोलीराम ब्राहमण निवासी रेवाड़ा को आवंटित साबिक आराजी संख्या 123, 124/1 रकबा 5 बीघा के नवीन नम्बर 384 रकबा 1.07 हैक्ट तथा प्रहलादराय को आवटिंत साबिक आराजी संख्या 123, 124/1मीन रकबा 4 बीघा के भी नवीन नम्बर 384/1003 रकबा 0.87 हैक्ट कायम किये गये। जिसको बाद में धापु देवी पत्नी बालुराम जाट निवासी बोरियापुरा को बैचान कर दिया गया तथा भागीरथ पिता मगना रेगर को आवंटित भूमि के साबिक आराजी संख्या 120/1 रकबा 2 बीघा के नवीन नम्बर 0.43 हेक्ट भूमि तथा दक्षिण दिशा में स्थित प्रकाश महाजन को आंवटित 5 बीघा भूमि साबिक आराजी संख्या 120/1 के नवीन नम्बर 311/991 रकबा 1.08 हैक्ट कायम किये गये, जो बाद में तुलसीदेवी पत्नी लक्ष्मण जी जाट को बैचान कर देने से उनके नाम पर दर्ज हो गई। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने साबिक नम्बरान के नवीन नम्बर व नवीन रकबा सही कायम किये किन्तु बिना विधिक अधिकार एवं बिना किसी न्यायालय आदेश के वादी के नवीन नम्बर 313 के नवीन नम्बरो को साबिक नम्बरो के एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीमात कर फीड कर दिया। जबकि आज भी वादी का आंवटन से जहां उसे आयताकार आकृति में और कलम नम्बर 3 में वर्णित पड़ौसी खातेदारों के बीच का सौपा गया, वही पर काबिज है, और उस पर वादी ने सेटलमेंट से पूर्व ही कुआ खोदा है, जो भी मौके पर स्थित है। वादी की नवीन आराजी संख्या 313 का नक्शा आयताकार तरमीमात नही कर लम्बाई में फीड करते हुए उसका उत्तरी सिरा सकड़ा व दक्षिणी सिरा चौड़ा तरमीमात करते हुए शोभालाल पिता तोलीराम ब्राहमण निवासी रेवाड़ा की नवीन आराजी संख्या 304 से सटमा सीमा नहीं कर वादी की आराजी संख्या 313 व 304 के मध्य आराजी संख्या 363 जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम पर दर्ज हैं, को फीड कर दिया और उत्तर दिशा में वादी के पड़ोस बरदा पिता रत्ता भील के बजाय प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की आराजी संख्या 382 को फीड कर दिया जिससे साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के विपरीत गलत नक्शा तरमीमात कर दिया गया। जबकि आराजी संख्या 382 व 383 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और यदि मौके की स्थिति को देखा जाये तो वर्षों पुरानी वादी की एवं पड़ौसी कब्जे धारियों की लम्बी [illegible] स्थिति के अनुसार नवीन न प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी संख्या 382, [illegible]3 को जिस तरह से तरमीमात कर फीड किया गया है, मौके पर उनका अ[illegible] मौके पर प्रतिवादी संख्या का लेस मात्र भूमि पर कब्जा कभी भी नहीं रहा है [illegible] की आयताकार आकृति में आवंटन शुदा भूमि व मौके पर वादी [illegible] भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 383 को गैर कानूनी तरीके से फीड कर तरमीमत कर दिया व वादी का नवीन नक्शा बिगाड़ दिया। जिससे वादी को उनके नवीन नक्शे की आकृति को दुरस्त करवाया जाना नितान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है। साबिक नक्शे पर नवीन नक्शा रखकर कम्पोज करने पर वादी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 383 में 0.43 हेक्ट भूमि पर आता है तथा शेष भूमि पर भागीरथ पिता मगना रेगर निवासी बोरियापुरा का इस आराजी के पश्चिमी मेड़ पर आता है तथा आराजी संख्या 382 पर बरदा पिता रत्ता भील के वारिसों का कब्जा आता है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मौके पर न तो कोई कब्जा है। न ही कोई अस्तित्व है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 हैक्ट भूमि में से 0.43 हेक्ट भूमि का जो निम्न पड़ों के मध्य स्थित है पूर्व में नवीन आराजी संख्या 384 शोभालाल पिता तोलीराम ब्राहमण, उत्तर में सोहन पिता रत्ता भील, पश्चिम में भागीरथ पिता मगना रेगर की आराजी संख्या 314 आती है। और दक्षिण में कुछ बिलानाम भूमि व तुलसीदेवी पत्नी लक्ष्मण जी जाट की आराजी संख्या 311 / 991 है, का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है तथा आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 हैक्ट, भूमि में से 0.43 हेक्ट, भूमि पूर्वी दिशा की वादी अपने नाम पर आयताकार दर्ज करवाने का अधिकारी है। विकल्प में आराजी संख्या 383 का शेष रकबा व आराजी संख्या 313 को प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ पिता मगना के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा इन्द्राज दुरुस्ती करवाया जाना नितान्त आवश्यक न्यायोचित है तथा प्रतिवाद संख्या 1 व 2 नाम दर्ज आरजी संख्या 382 रकबा 0.66 हैक्ट को बरदा पिता रत्ता के वारिसों के नाम पर दर्ज करवाने की डिक्री भी फरमाया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का इन भूमियो पर कब्जा नही रहने से यदि उक्त भूमि आवंटित भी हुई है तो इन आवंटन शर्तो की पालना नही होने से उनके नाम पर दर्ज नही रह सकती है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार मण्डल बोरियापुरा तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में स्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 है0 भूमि में से पूर्वी दिशा की 0.43 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे व शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज करते हुए सम्पूर्ण नक्शा तदनुसार तरमीमात किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती की जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार वादी का नाम दर्ज किया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात से उसके कब्जे शुदा भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे व न अन्य से करावे तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे तथा उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

उक्त दोनो प्रकरण एक दुसरे के विपरीत है तथा दोनो मूल दावो में विपक्षी अधिवक्ताओ का कहना है कि प्रकरण संख्या 48 / 20 के वाद में विपक्षी संख्या 7 की आरे प्रकरण संख्या 54 / 20 का जो वाद पेश किया है उसमें ... लिया जाये तथा प्रकरण संख्या 54 / 20 में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया ... इस ... में विपक्षी की ओर से जो न्यायालय में वाद पेश किया वो दर्ज होकर 48 / 20 के रूप में ... है उसमें तथ्य अंकित किये गये है जिनको जवाब माना जाकर दोनो प्रकरणो ... और न्यायालय से निवेदन है कि मौका निरीक्षण कर दोनो प्रकरणो का मौका स्थिति अनुसार निस्तारण किया जावे जिसमें दोनो प्रकरणो के पक्षकारान को कोई आपत्ति नही होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दोनो प्रकरणो में वर्णित आराजियात के रेकार्ड और मौका स्थिति का निरीक्षण तहसीलदार रायपुर, भू.अ.नि. आशाहोली, पटवारी हल्का बोरियापुरा दोनो वाद से सम्बधित अधिवक्ता एवं पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अकंन किया कि पटवारी हल्का बोरियापुरा एंव पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार आराजी संख्या 383 पर मौके पर गनी मोहम्मद का कब्जा पाया जो मौके पर कुंआ खोदा हुआ है। आराजी संख्या 313 पर मौके पर पड़ौसी खातेदार भागु पिता मगना रेगर निवासी बोरियापुरा का कब्जा है। मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 383 में कोई फसल नही है तथा 313 में कोई भी फसल नही होकर पड़त है। दोनो आराजी के चारो ओर थोहर की बाड़ है। मौका पर्चा पर उपस्थित मौतबीरान ने हस्ताक्षर किये गये जो शामिल पत्रावली है।

मौका निरीक्षण के दौरान उपस्थित पक्षकारान एवं अधिवक्ताओ द्वारा मौखिक रूप से भी निवेदन किया कि जिस पक्ष के खाते मे जितना रकबा दर्ज है मौके पर उतना ही रकबे का कब्जे की भूमि को कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराई जावे और खाते मे दर्ज रकबे से अगर किसी पक्ष के अधिक भूमि हो तो उसको छोड़ने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही है। इसी अनुसार दोनो प्रकरणो का निस्तारण कराने की इस्त दुआ की।

दोनो प्रकरणो में उभयपक्ष अधिक्ताओ की बहस सुनी गई

दोनो प्रकरणो में दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ द्वारा मौका स्थिति अनुसार प्रकरणो का निस्तारण कराने मे सहमति व्यक्त की गई।

मैने दोनो पत्रावलीयों में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि ग्राम रेवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 120 मे 2 बीघा रकबा श्री गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान को आवंटित हुआ जिसका राजस्व रेकार्ड मे अमल जरिये इन्तकाल नम्बर 308 दिनांक 05.10.1980 को हुआ। इसी तरह 2 बीघा रकबा इसी आराजी में श्री भागीरथ पिता मगना रेगर के नाम आंवटित हुआ जो जरिये इन्तकाल नम्बर 310 के दिनांक 05.10.1980 को आंवटी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल हुआ जिसका इन्द्राज जमाबन्दी 2033 से 2037 में हो रहा है। इसी तरह बरदा पिता रता भील को 1993 में आराजी संख्या 120 मे से 5 बीघा भूमि अलोटमेन्ट हुई जो जमाबन्दी में जरिये इन्तकाल नम्बर 589 दिनांक 31.05.1993 से दर्ज हुई। उपरोक्त विवरण से पाया कि साबिक आराजी संख्या 120 मे लगभग 83 बीघा 2 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार थी उसी से लगती हुई आराजी संख्या 123, 124 मे 103 भूमि बिलानाम सरकार सरकार दर्ज रेकार्ड थी जिसमे से फर्दन फर्दन व्यक्तियो को आवंटन हुआ। मौका जांच से पाया एवं उपस्थित मौतबीरान मय उभयपक्ष के द्वारा बताया कि जब से भूमि आवंटन हुई और तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा जहां मौके पर कब्जा दिया गया उसी जगह काबिज होकर आवंटियो ने भूमि आबाद की है किन्तु मौका स्थिति किसी पक्ष के पास अगर आंवटन से और रेकार्ड में दर्ज रकबे के मुकाबले अधिक कब्जा पाया जाता है तो उस पक्ष को कब्जा छोड़ने में कोई आपत्ति नही है। आवंटन के पश्चात कब्जा सिपूर्दगी के दौरान अगर कोई राजस्व कार्मिक नक्शे की मौका स्थिति को सही नही समझकर अगर दुसरे नम्बर को वो ही नम्बर मानकर कब्जा सिपूर्द कर दिया जाता है तो भी उसमे आवंटी का कोई दोष नही होता है। मौके [illegible] में दर्ज रकबे को लेकर भी कोई विवाद नही है भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भी कभी कभी मौका स्थिति [illegible] समझने में भूल हो जाये तो भी उसका खामियाजा भी आवंटी खातेदार नही भुगतना है। दोनो [illegible] के पक्षकारान मय अधिवक्ता भी इसी मौका स्थिति अनुसार प्रकरण का निस्तारण [illegible] ताकि कोई पक्षकार अनावश्यक इधर उधर नही भटके। ऐसी स्थिति में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौका स्थिति अनुसार ही दोनो प्रकरणो का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उक्त दोनो प्रकरणो को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का बोरियापुरा के राजस्व ग्राम रेवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 382 रकबा 0.66 है0 भूमि खातेदार राजु पिता कालु एवं मु. रूकमणी बेवा कालु भील के नाम दर्ज रेकार्ड है जिससे विपक्षीगण को बेदखल कर कब्जा खातेदार को दिलाया जावे एवं भू प्रबन्ध विभाग से हुई त्रुटी को दुरस्त करते हुए हाल आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 है0 भूमि के बजाय नवीन नम्बर 383/313 रकबा 0.43 है0 भूमि एवं 383 रकबा 0.42 है0 भूमि नक्शे में तरमीम करते हुए दर्ज की जावे। गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान के नाम दर्ज आराजी संख्या 313 रकबा 0.43 है0 भूमि के बजाय आराजी संख्या 383/313 रकबा 0.43 है0 भूमि दर्ज की जावे एवं आराजी संख्या 383 रकबा 0.37 है0 भूमि से गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान एवं 0.05 है0 भूमि से भागीरथ पिता मगना रेगर को बेदखल कर कब्जा खातेदार को दिलाया जावे। आराजी संख्या 313 रकबा 0.43 है0 भूमि से भागीरथ पिता मगना रेगर को अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करते हुए उक्त आराजी संख्या 313 रकबा 0.43 है0 भूमि राजु पिता कालु एवं मु. रूकमणी बेवा कालु भील के नाम दर्ज की जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.08.2021

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—48 / 2020 (2020 / 00124) वाद पत्र

उनवान

1—राजु पिता कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रूकमणी बेवा कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—रतनलाल पिता माधवलाल जाट निवासी आमलीकाबड़ाखेड़ा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2—नारायणलाल पिता माधवलाल जाट नि0 आमलीकाबड़ाखेड़ा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3—शान्तिलाल पिता माधवलाल जाट निवासी आमलीकाबड़ाखेड़ा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4—सोहनलाल पिता रत्ता भील निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—किशनलाल पिता रत्ता भील निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—कैलाश पिता बरदा भील निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान निवासी बोरियापुरा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—भागीरथ पिता मगना रेगर निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः—54 / 2020 (2020 / 00156) वाद पत्र

उनवान

1—गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान निवासी बोरियापुरा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—राजु पिता कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रूकमणी बेवा कालु भील निवासी तोलास का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भागीरथ पिता मगना रेगर निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः–48 / 2020 (2020 / 00124) वाद पत्र
मुकदमा नम्बरः–54 / 2020 (2020 / 00156) वाद पत्र

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी उक्त दोनो प्रकरणो को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का बोरियापुरा के राजस्व ग्राम रेवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 382 रकबा 0.66 है0 भूमि खातेदार राजु पिता कालु एवं मु. रूकमणी बेवा कालु भील के नाम दर्ज रेकार्ड है जिससे विपक्षीगण को बेदखल कर कब्जा खातेदार को दिलाया जावे एवं भू प्रबन्ध विभाग से हुई त्रुटी को दुरस्त करते हुए हाल आराजी संख्या 383 रकबा 0.85 है0 भूमि के बजाय नवीन नम्बर 383 / 313 रकबा 0.43 है0 भूमि एवं 383 रकबा 0.42 है0 भूमि नक्शे में तरमीम करते हुए दर्ज की जावे। गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान के नाम दर्ज आराजी संख्या 313 रकबा 0.43 है0 भूमि के बजाय आराजी संख्या 383 / 313 रकबा 0.43 है0 भूमि दर्ज की जावे एवं आराजी संख्या 383 रकबा 0.37 है0 भूमि से गनी मोहम्मद पिता नाथु खां मुसलमान एवं 0.05 है0 भूमि से भागीरथ पिता मगना रेगर को बेदखल कर कब्जा खातेदार को दिलाया जावे। आराजी संख्या 313 रकबा 0.43 है0 भूमि से भागीरथ पिता मगना रेगर को अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करते हुए उक्त आराजी संख्या 313 रकबा 0.43 है0 भूमि राजु पिता कालु एवं मु. रूकमणी बेवा कालु भील के नाम दर्ज की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.08.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

24-08-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested